निर्णय ब इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 105/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मन मोहन धामू पुत्र स्व॰ श्री हरिराम धामू निवासी 77, सिविल लाईन गौरव टावर, पुलिस थाना सोडाला, जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर, जिला जयपुर ।
2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर पूर्व।

अप्रार्थीगण

अन्तरण प्रार्थना बाबत पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में भेजे जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर पूर्व प्रकरण संख्या 02/2016 तथा ...../2019 ब उनवानी सरकार बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रादेशिक, जयपुर राजस्थान ।

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर पूर्व के समक्ष दिनांक 18.02.2016 को पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर ने धारा 145 सी आर पी सी का एक इस्तगासा प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 02/2016 ब उनवानी सरकार बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रादेशिक, जयपुर राजस्थान दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर पूर्व से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस एक पक्षीय उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस्तगासा को बिना जांच किये हुये सही मानते हुये नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिये, जिस सम्बन्ध में प्रार्थी राजस्थान सरकार की साक्ष्य नही ली जाकर सीधे ही पार्टी नम्बर 1 ता 4 की साक्ष्य में पत्रावली लगादी । जिसका प्रार्थना पत्र मुस्तगीस की साक्ष्य बन्द कराने अथवा साक्ष्य लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 9.8.2017 को पेश किया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 9.8.2017 को तारीख पेशी में नहीं लिया जाकर प्रार्थना पत्र को पत्रावली के साथ संलग्न कर दिया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय की मंशा, अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्व पारित करने की है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 9.8.2017 के बाबत बार बार

जिला कलक्टर
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया कि पार्टी नं॰ 3 द्वारा पस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई भी आदेश पारित करे, लेकिन आदेश पारित करना दूर रहा, बल्कि उक्त प्रार्थना पत्र को आदेशिका में ही वर्णित नहीं किया। जब ज्यादा जोर दिया तो उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 13.10.2017 को आदेशिका में शामिल कर रिकार्ड पर लिया गया। लेकिन इसके सम्बन्ध में आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया और न ही कोई बहस सुनी गई। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र आज तक लम्बित है। उक्त प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के बावजूद पार्टी नं॰ 3 की साक्ष्य में पत्रावली लगाते हुये साक्ष्य पेश करने के लिए दबाव दिया गया। जिससे मजबूरी में पार्टी नम्बर–3 ने आनन फानन में उक्त साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये। प्रार्थी द्वारा स्वयं के मालिकाना हक कि सम्पत्ति में पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर जयपुर द्वारा अवैद्यानिक रूप से पुलिस चौकी कायम कर दी थी। जिसे प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुसार हटाया गया था जिसे पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर जयपुर प्रार्थी/पार्टी नम्बर–3 से रंजिश रखता है। इस रंजिश की वजह से ही अन्य पार्टी बना कर उक्त आशय का प्रार्थना पत्र धारा 145 सी आर पी सी में पेश कर दिया ताकि प्रार्थी के मालिकाना हक की सम्पत्ति विवादित होकर राज्य सरकार के अधीन आ जाये । जिसके कारण पुलिस थाना ट्रान्सपोर्ट नगर जयपुर द्वारा बाला बाला मनगढन्त तथ्यों पर माननीय न्यायालय ए डी जे 6, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के आदेशों की अवहेलना करते हुये उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है । जब न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से मुस्तगीस को परीक्षित कराने हेतु मुस्तगीस की गवाही बन्द करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर आज तक कोई गौर नहीं किया और अपनी मर्जी मुताबिक पत्रावली का तुरन्त निस्तारण करने की मन्शा से अप्रार्थी नम्बर 3 के विरूद्व आदेश पारित करने पर उतारू है। प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2018 को दिया जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की दिनांक 02.06.2019 को बहस सुन ली गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 आरम्भ से ही अनुपस्थित रहता है। अप्रार्थी संख्या 4 की तरफ से वकील अन्य न्यायालय में व्यस्त है कल बहस न्यायालय में कर ली जायेगी। यह बहस तारीखों के बाद आज भी जबाव/बहस नहीं की तथा पीठासीन अधिकारी ने जबाव बन्द करने का फैसला नहीं दिया है। दिनांक 9.10.2019 को धारा 340 में प्रार्थना पत्र पेश किया था उसको आदेशिका में दिनांक 06.11.2019 को दर्ज किया गया है। इसलिए प्रार्थी उक्त पत्रावली का अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरण कराना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर यथा सम्भव 3 माह में प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर